

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1575
9 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव

1575. श्री विजय बघेल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने सेल की एक इकाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, की सीएसआर परियोजना के लक्षित लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया है;
- (ग) यदि हां, तो जिला-वार और विशेषकर दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सेल के सीएसआर कार्यकलापों को राज्य के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों अथवा अन्य अल्प विकसित क्षेत्रों तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) सरकारी दिशानिर्देशों और सीपीएसई नीति के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को लागू करते हैं। स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) / भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) एक आवश्यकता-मूल्यांकन-आधारित आवंटन मॉडल का पालन करता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण अवसंरचना और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रमाणित आवश्यकताओं के आधार पर भिलाई, दुर्ग और आसपास के खनन जिलों में सीएसआर संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग): सेल/ बीएसपी दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित लक्षित लाभार्थियों पर अपनी सीएसआर पहलों के व्यापक प्रभाव मूल्यांकन के लिए तृतीय-पक्ष एजेंसियों को नियुक्त करता है।

(घ) और (ङ): सेल पहले से ही छत्तीसगढ़ के तीन आकांक्षी जिलों अर्थात् कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव में सीएसआर गतिविधियां क्रियान्वित कर रहा है।
